

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या – 107/2022

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली

...अपीलकर्ता (गण)

बनाम

श्रीमती सुबूब तारा एवं अन्य

... प्रत्यर्थागण (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अरुण कुमार वर्मा, हर्षा यादव

प्रत्यर्था (गण) के अधिवक्ता :-

न्यायालय संख्या – 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

1. अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री हर्षा यादव को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. नोटिस की तामील के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. आदेश के विरुद्ध यह प्रथम अपील रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 23 के अंतर्गत रेलवे दावा अधिकरण, लखनऊ खंडपीठ, लखनऊ द्वारा वाद संख्या OA/II/U/898/2011 से उत्पन्न पुनर्विलोकन प्रार्थनापत्र संख्या Rev./A/53/18 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.03.2021 के साथ-साथ वाद संख्या ओए /II/यू/898/2011 (श्रीमती सुबूब तारा बनाम भारत संघ) में पारित निर्णय/पंचाट दिनांक 22.12.2017 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है। मामले के तथ्य यह है कि दिनांक 21/22.09.2011 को, मृतक अब्दुल गनी, जब वह लखनऊ से वाराणसी की यात्रा एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा कर रहे थे, मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन के पास अचानक गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
4. इसके पश्चात, मृतक के परिवार के सदस्यों ने दिनांक 17.10.2011 को रेलवे दावा अधिकरण, लखनऊ के समक्ष एक दावा याचिका दायर की। अधिकरण ने अभिवचनों के अवलोकन और पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद निम्नलिखित वादबिंदु विरचित किये:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"1. क्या मृतक संबंधित ट्रेन का एक वास्तविक (bonafide) यात्री था?

2. क्या मृतक की मृत्यु की घटना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124-A के साथ पठित धारा 123(C)(2) के अंतर्गत परिभाषित एक अप्रिय घटना के दायरे में आती है?

3. क्या आवेदक मृतक का एकमात्र आश्रित है?

4. किस अनुतोष हेतु?"

5. अधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्रियों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष दर्ज किया कि मृतक वैध टिकट धारक एक वास्तविक यात्री था। इसमें आगे यह दर्ज किया गया कि मृत्यु ट्रेन से गिरने के कारण हुई थी और यह घटना स्पष्ट रूप से रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123(ग)(ii) के दायरे में आती है। तदनुसार, अधिकरण ने निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.12.2017 के माध्यम से ब्याज सहित 8,00,000/- रुपये का मुआवजा प्रदान किया था।

7. इसके पश्चात, अपीलकर्ता ने एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की और उक्त पुनर्विलोकन याचिका को आदेश दिनांक 26.03.2021 के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

8. उपरोक्त दोनों आदेशों को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है।

9. अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा उचित नहीं है और इसे संशोधित किया जाना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि संशोधित नियमों की प्रयोज्यता पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भारत संघ बनाम रीना देवी' [2019 (3) एससीसी 572]** के मामले में विचार किया गया था, जिसका निर्णय दिनांक 09.05.2018 को हुआ था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

"15.4 तदनुसार, हमारा यह निष्कर्ष है कि दुर्घटना की तारीख पर लागू दर के अनुसार मुआवजा देय होगा, जिसमें समय-समय पर दुर्घटना दावा मामलों के समान पैटर्न पर उचित समझे जाने वाले ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। यदि इस प्रकार गणना की गई राशि अधिकरण के पंचाट की तारीख पर निर्धारित राशि से कम है, तो दावेदार दो राशियों में से उच्च राशि का अधिकारी होगा। यह आदेश उन अधिनिर्णयों को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले से ही अंतिम हो चुके हैं और जहां ऐसे अधिनिर्णयों को चुनौती देने की समय सीमा समाप्त हो गई है, यह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आदेश स्वयं में विलंब क्षमा का आधार नहीं होगा। राठी मेनन (उपरोक्त) और कलंदी चरण साहू (उपरोक्त) में प्रतीत होने वाले विरोधाभास को तदनुसार स्पष्ट किया जाता है। प्रताप नारायण सिंह देव (उपरोक्त) में 4- न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय इस विषय पर प्रभावी है और वर्तमान स्थिति पर पूर्ण रूप से लागू होता है। दुर्घटना की तारीख पर लागू मुआवजा उचित ब्याज के साथ दिया जाना चाहिए और लाभकारी विधि के अधिदेश को प्रभावी करने के लिए, यदि अधिकरण के अधिनिर्णय के दिनांक पर प्रदान किया गया मुआवजा ब्याज सहित असंशोधित राशि से अधिक है, तो दोनों में से उच्चतर राशि दी जानी चाहिए।"

10. उनका निवेदन है कि रीना देवी (उपरोक्त) के निर्णयाधार का पालन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'भारत संघ बनाम राधा यादव' विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 28032-28033 वर्ष 2018, 'भारत संघ बनाम दिलीप एवं अन्य' [(2024) 11 एससीसी415], 'कमुकई एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य'; विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 17062/2022 और 'डोली रानी साहा बनाम भारत संघ' [2024 आई एन एस सी 603] में पारित निर्णयों में भी किया गया है।

11. उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'भारत संघ बनाम राधा यादव' (उपरोक्त) वाद में दिए गए निर्णय का आश्रय लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

"10. मामले में प्रस्तुत किये गए बिंदु को वास्तव में किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे विचार में, इस न्यायालय का रीना देवी के मामले में दिया गया निर्णय अत्यंत स्पष्ट है। इस न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि दुर्घटना की तारीख पर देय मुआवजे की राशि की गणना सर्वप्रथम उचित ब्याज दर के साथ की जाएगी। यदि इस प्रकार गणना की गई राशि अधिनिर्णय के दिनांक पर निर्धारित राशि से कम है, तो दावेदार इन दो राशियों में से उच्चतर राशि का अधिकारी होगा। इसलिए, यदि दायित्व संशोधन लाए जाने से पहले उत्पन्न हुआ था, तो मूल आंकड़ा उस अनुसूची के अनुसार होगा जो संशोधन से पहले अस्तित्व में थी और ऐसे मूल आंकड़े पर उचित ब्याज दर की गणना की जाएगी। यदि इस प्रकार गणना की गई राशि और पंचाट की तारीख पर अनुसूची में निर्धारित राशि के बीच कोई अंतर होता है, तो दो आंकड़ों में से उच्चतर आंकड़ा मुआवजे का पैमाना होगा। उदाहरण के लिए, संशोधन से पहले हुई दुर्घटना में मृत्यु के मामले में, मूल राशि 4,00,000/- रुपये होगा। यदि, उचित ब्याज दर लगाने के बाद, अंतिम राशि 8,00,000/- रुपये से कम होती है, जो संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था, तो दावेदार 8,00,000/- रुपये

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

का अधिकारी होगा। यदि, हालांकि, ब्याज दर के साथ मूल मुआवजे की राशि 8,00,000/- रुपये की राशि से अधिक हो जाती है, तो मुआवजा 8,00,000/- रुपये से अधिक वाले आंकड़े के रूप में होगा। विचार यह है कि संशोधन का लाभ यथासंभव सीमा तक प्रदान किया जाए। इस प्रकार, हमारे अनुसार, मामला बिल्कुल स्पष्ट है। मुद्दे को और अधिक स्पष्टीकरण या विस्तार की आवश्यकता नहीं है।"

12. उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'कमुकई' (उपरोक्त) के मामले में पारित एक अन्य निर्णय का आश्रय लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

"23. तदनुसार और उपरोक्त चर्चा के अनुसार हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 26.03.2021 और दावा अधिकरण दिनांक 29.06.2017 के आदेश को भी अपास्त करते हैं। परिणामस्वरूप, दावा प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ता दावा प्रार्थनापत्र दायर करने की तारीख से इसकी वसूली तक 7% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 4,00,000/- रुपये के मुआवजे के अधिकारी माने जाते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज दर अधिरोपित करने के बाद, यदि अंतिम आंकड़ा 8,00,000/- रुपये से कम है, तो अपीलकर्ता 8,00,000/- रुपये के अधिकारी होंगे। मुआवजे की राशि का भुगतान प्रतिवादियों द्वारा आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाए। वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।"

13. उन्होंने यह निवेदन भी किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 08.10.2025 को 'रजनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य' के मामले में पारित नवीनतम निर्णय में; विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 19549 वर्ष 2024 में यह व्यवस्था दी है कि:-

"16. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हमारा सुविचारित मत है कि रेलवे दावा अधिकरण और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष संधार्य नहीं होंगे और हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। इसलिए, वाद संख्या ओए-आई आई यू /बीपीएल/96/2019 में रेलवे दावा अधिकरण भोपाल खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2023 और विविध अपील संख्या 3451 वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2024 को एतद्वारा अपास्त किया जाता है और दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के दिनांक से 8 (आठ) सप्ताह के अंतर्गत अपीलकर्ता-आवेदक को 8,00,000/- रुपये (आठ लाख रुपये) के मुआवजे

का भुगतान करें, ऐसा न करने पर इस न्यायालय द्वारा दी गई राशि पर इस न्यायालय के आदेश की तिथि से भुगतान तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। लंबित प्रार्थनापत्र, यदि कोई हों, निस्तारित किये जाते हैं।"

विश्लेषण

14. इस मामले में आगे कार्यवाही करने पूर्व, न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों पर गौर करना चाहेगा। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 129 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना (मुआवजा) नियमावली, 1990 बनायी गई थी, जिसकी अनुसूची में निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है:-

"मृत्यु और चोटों के संबंध में देय मुआवजे की राशि

भाग।

मुआवजे की राशि (रुपये में)

मृत्यु के लिए 4,00,000"

15. इसके पश्चात, नियमों को जीएसआर 1165 (ई) दिनांक 22.12.2016 के माध्यम से संशोधित किया गया जो दिनांक 01.01.2017 को प्रभावी हुआ, जिसमें मुआवजे को 4,00,000/- रुपये से बढ़ाकर 8,00,000/- रुपये कर दिया गया, अब अनुसूची इस प्रकार है:-

"मृत्यु और चोटों के संबंध में देय मुआवजे की राशि

भाग।

मुआवजे की राशि (रुपये में)

मृत्यु के लिए 8,00,000"

16. यह स्पष्ट है कि मृतक अब्दुल गनी की मृत्यु दिनांक 22.09.2011 को हुई थी, जब वह लखनऊ से वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर गिर गए थे। दावा याचिका दिनांक 19.10.2011 को प्रस्तुत की गई थी और उस समय, नियमावली, 2011 के अनुसार, 4,00,000/- रुपये का दावा दिया जाना चाहिए था, हालांकि वर्ष 2016 में एक संशोधन हुआ जो दिनांक 30.12.2016 को प्रभावी हुआ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जिसमें एक संशोधन किया गया और मुआवजे की राशि को दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी रूप से बढ़ाकर 8,00,000/- रुपये कर दिया गया। इस मामले में निर्णय दिनांक 22.12.2017 को पारित किया गया था, और इसलिए, रीना देवी (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्णयाधार लागू होगा।

17. तदनुसार, आक्षेपित आदेश दिनांक 22.12.2017 के माध्यम से अधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि दावेदारों को दावा याचिका दायर करने के दिनांक अर्थात् 17.10.2011 से 31.12.2016 तक 7% ब्याज के साथ 4,00,000/- रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाता है और उसके बाद, दिनांक 01.01.2017 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक, मुआवजे की राशि 7% ब्याज के साथ 8,00,000/- रुपये है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस प्रकार गणना की गई राशि अधिकरण के अधिनिर्णय के दिनांक पर निर्धारित राशि से कम है, तो दावेदार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीना देवी (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित अनुपात के अनुसार दो राशियों में से उच्चतर राशि के अधिकारी होंगे। भुगतान आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

18. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह अपील स्वीकार की जाती है।

19 मार्च, 2026

अर्जुन

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)